

कार्यालय सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड- 1(ता0ट्रि0), लो0नि0वि0, आगरा

पत्रांक: 119/1B - अक्ट- 2021

दिनांक: 11-10-2021

सेवा में,


प्रबन्धक,
सेण्ट जीनियस कॉन्वेंट स्कूल,
लोधई, श्यामो मोड,
आगरा।

बिषय:- जनहित याचिका संख्या-483/2004 अवनीश मेहरोत्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.04/2009 के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-आपका पत्रांक SGCS/Oct-5/2021 दिनांक 06.10.2021।


महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि सेण्ट जीनियस कॉन्वेंट स्कूल, लोधई, श्यामो मोड, आगरा, के विद्यालय भवन का स्थलीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा कर लिया गया है। निरीक्षण में पाया गया कि उक्त विद्यालय भवन का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 में प्राविधानित सुरक्षा मानकों के अनुरूप है एवं वर्तमान में विद्यालय भवन पूर्णतः सुरक्षित एवं मजबूत है। वांछित प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है। संलग्न-प्रमाण पत्र।


सहायक अभियन्ता
सहायक अभियन्ता
नि0ख0-1 (ता0ट्रि0), लो0नि0वि0,
आगरा
11-10-2021

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय सेण्ट जीनियस कॉन्वेंट स्कूल, लोधई, श्यामो मोड, आगरा, का स्थलीय निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया | विद्यालय भवन का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 में प्राविधानित सुरक्षा मानकों के अनुरूप कराया गया है। वर्तमान में विद्यालय भवन पूर्णतः सुरक्षित एवं मजबूत है।

 11-10-2021

अवर अभियन्ता

नि0ख0-1 (ता0ट्रि0), लो0नि0वि0,
आगरा